जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर 78/2016

अपील सूचना अधिकार संख्या 78/2016 अनवानी श्री राजेन्द्र पुत्र श्री भागीरथ निवासी गांव व पो.ऑ0 मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम श्री हरभजन सिंह, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06–12.–2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के अभिभाषक श्री वेदप्रकाश गर्ग उपस्थित है। जिला रसद अधिकारी के प्रतिनिधि श्री संदीप गोड प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित है। दोनो पक्षो को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के अभिभाषक का कथन है कि अपीलार्थी के द्वारा चाही गई सूचनांए लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा उपलब्ध नही करवाई है जो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उपलब्ध करवाने में कोई रोक नही है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांए उपलब्ध करवाई जावे।

इसके विपरीत प्रतिनिधि का कथन है कि कोई भी राशनकार्ड धारक अपने से संबंधित प्रविष्टियों की जानकारी ले सकता है। सभी योजनाओ के स्टॉक/वितरण रजिस्टर बाबत उपभोक्त मामले, सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 20.03.2015 जो समस्त भारत में लाग्रू है के खण्ड 10 के उपखण्ड 5 के अनुसार कोई राशनकार्ड अपनी सूचना ले सकता है। अन्य किसी की सूचनांए दिये जाने का प्रावधान नही है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांए उपलब्ध नही करवाई जा सकती। अतः अपील अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 28.03.2016 के द्वारा जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

> 1. राशन डिपो मदेंरा से माह फरवरी व मार्च 2016 में कनक एवं मिटी के तेल के वितरण के रजिस्टर की प्रमाणित प्रति।

उक्त सूचनांओ के संबंध में अपीलार्थी की अपील पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपना प्रतिवेदन सं0 3324 दिनांक 19.05.2016 प्रस्तुत किया है कि उक्त सूचनांए कार्यालय में उपलब्ध नही होने के कारण राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2"च" व 7(9) का प्रयोग करते हुए आवेदक का आवेदन निरस्त कर नियत समय अवधि में उनके कार्यालय के पत्र कमांक 2883 दिनांक 25.04.16 द्वारा अपीलार्थी को सूचित कर दिया गया था।

जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर ने पत्र सं0 2883 दिनांक 25.04.2016 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचित किया गया हैः–

> उपरोक्त चाही गई सूचनांए जिस प्रारूप में आप द्वारा चाही गई है कार्यालय में संधारित नही तथा न ही उपलब्ध है। अतः उक्त सूचना के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2"च" में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र,

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

नमूने, मॉडल, आंकड़ो संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नो के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

इस प्रकार खोजकर खोजे गये तथ्यो के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना का अधिकार के तहत नही आता। सूचनांए एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनो को अनुपातिक रूप से विचलित करता है। अतः आरटीआई में धारा 7(9) में ऐसी सूचना उपलब्ध कराया जाना वर्जित है। अतः आपका आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

विभागीय प्रतिनिधि ने भारत सरकार के जिस राजपत्र का अपनी बहस में हवाला दिया है। चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का अन्य सभी विधियों पर प्रभाव रहता है। इसलिए भारत सरकार का उक्त राजपत्र दिनांक 20.03.2015 के आधार पर सूचना देने से मना नही किया जा सकता और न ही इस आधार पर ईन्कार किया गया है। चूंकि सूचना का अधिनियम सभी विधियों पर प्रभावी है। इसलिए चाही गई सूचनांओ के संबंध सूचना अधिकार अधिनियम के तहत ही निर्णय लिया जाना चाहिए।

अपीलार्थी द्वारा राशन डिपू मदेरा के कनक एवं मिटी के तेल के वितरण रजिस्टर की सूचना चाही है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उपलब्ध अभिलेख के अनुसार चाही गई सूचना अगर सूचना का अधिकार अधिनिमय के अन्तर्गत देय की श्रेणी में आती है तो वह अवश्य दी जानी चाहिए। इसलिए इस प्रकरण को रिमाण्ड करना उचित समझते है। अतः मामला लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि यदि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांए उनके कार्यालय में उपलब्ध हो या उनकी पहुंच में हो तो नियमानुसार उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 06.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानाराम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
78/2016